प्रेस नोट
थाना- चिरगाँव, जनपद- झाँसी

दिनांकः 14.09.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त एवं बाल अपचारी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.09.2026 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/26 धारा 103(1)238 बीएनएस में नामजद अभियुक्त विशाल कुशवाहा पुत्र मनोहर कुशवाहा निवासी ग्राम छिरौना, थाना चिरगाँव, जिला झाँसी उम्र करीब 21 वर्ष को हैड के पुल के पास की पुलिया छिरौना से गिरफ्तार किया गया एवं बाल अपचारी को वादी के मकान, ग्राम छिरौना से पुलिस हिरासत में में लिया गया। दोनों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 16.09.2026 को वादी श्री अशोक कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 जयराम कुशवाहा निवासी- कुटी आश्रम ग्राम छिरौना थाना चिरगाँव जनपद झांसी द्वारा थाना चिरगाँव पर प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 16:00 बजे मृतक रामदीन (उम्र करीब 60-70 वर्ष) ने अपने घर में अपनी नातिन को गाँव के ही विशाल कुशवाहा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस पर विवाद व मारपीट हुई। मारपीट के दौरान विशाल कुशवाहा द्वारा मृतक का गला दबाया गया तथा नाबालिग नातिन द्वारा सिलबट्टे के पत्थर से उसके सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। तत्पश्चात साक्ष्य छिपाने एवं घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से शव को गाँव के कुएँ में फेंक दिया गया तथा घर के खून से सने कपड़े छिपा दिए गए। दिनांक 13.09.2026 को शव कुएँ से बरामद होने पर परिजनों द्वारा दुर्घटना मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दिनांक

15.09.2026 को घर की सफाई के दौरान खून से सने कपड़े मिलने पर नाबालिग द्वारा पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की गई, जिसके उपरांत वादी द्वारा थाना चिरगाँव पर उपस्थित आकर प्रार्थना-पत्र दिया गया।

वादी के प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना चिरगाँव पर मु0अ0सं0 0235/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत कर स्थानीय पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त विशाल कुशवाहा एवं बाल अपचारी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े खून से सने कपड़े एवं अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त एवं बाल अपचारी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

विशाल कुशवाहा पुत्र मनोहर कुशवाहा निवासी ग्राम छिरौना, थाना चिरगाँव, जिला झाँसी उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक चिरगाँव श्री बलिराज शाही,
2. व0उ0नि0 आनन्द कुमार सिंह,
3. उ0नि0 उदयवीर सिंह,
4. बाल कल्याण अधिकारी उ0नि0 सिद्धनाथ सिंह,
5. हे0का0 261 अरविन्द कुमार,
6. का0 1495 सुमित कुमार,
7. म0का0 162 डौली यादव,
8. म0का0 122 रुचि।